# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री अंशुलसिंह, R.A.S.

अपील संख्याः 2010/08 दायर दिनांक 29.09.2010

| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
|---|---|---|
| 1. श्रीमती सज्जन कंवर बेवा उगमसिंह जाति राजपूत निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 | बनाम् | 1. श्रीमती मोहनी देवी सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर<br>2. श्रीमती कमल कंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोलिया तहसील डीडवाना<br>3. गजेन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी कोलिया तहसील डीडवाना<br>4. तहसीलदार, डीडवाना |

**अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट**
**अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1537 दिनांक 20.08.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया द्वारा भरा गया उसे निरस्त करने बाबत।**

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हीरसिंह वलारा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 02

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.12.2019

अपील कं तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट गजेन्द्र सिंह माता पुत्र है। अपीलार्थीनी उगमसिंह की बेवा है तथा गजेन्द्र सिंह स्व0 उगमसिंह का पुत्र है। वाके सरहद कोलिया के पुराना खेत खसरा सं0 1039 रकबा 71 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1495 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा है जो अपीलार्थीनी व रेस्पोडेन्ट गजेन्द्र सिंह की पैत्रिक सम्पति की भूमि रही हैं। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित है। खतौनी संवत 1981 , खसरा मिलान की छाया प्रति अपील के साथ प्रस्तुत है। अपीलार्थीनी वृद्ध व ज्यादातर बिमार रहती है एवं पर्दा नसीन औरत है। जिसका फायदा उठा कर रेस्पोडेन्ट गजेन्द्रसिंह ने अपने नाम अकेले के खसरा सं0 1495 की पैत्रिक सम्पति की भूमि में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जिसका अपीलार्थी को इल्म नहीं होने दिया। खसरा संख्या 1495 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा में से 08 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2010/08
दायर दिनांक 20.09.2010, निणर्य दिनांक 04.12.2019
श्रीमती सज्जन कंवर बनाम मोहनीदेवी वगैराह

भूमि नाथुसिंह को बैचाण कर दी तथा दिनांक 09.11.2009 को रेस्पोडेन्ट श्रीमती कमल कंवर को 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैचाण भी बिना प्रतिफल लिये व बिना कब्जा के अपीलार्थीनी को हानि पहुचानें के लिए कर दिया जिसका इल्म होने नहीं दिया। अपीालार्थी का वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति की होने से जायज हक व हिस्सा अधिकार है। खसरा सं0 1495 में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैचाण विशेष भु–भाग का पडौस बता कर नहीं किया जा सकता। उक्त खसरा पर न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश के बावजुद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर एक सरपंच ने दिनांक 20.08.2010 को उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी कर दिया। इसलिए उक्त नामान्तरकरण सं0 1537 दिनांक 20.08.2010 प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

## अपील के आधार

1. यह है कि रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया ने बिना मौके की जांच किये, बिना अपीलार्थीनी को नोटिस दिये नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो काबिले निरस्त है।
2. यह है कि वादग्रस्त खसरा सं0 1495 बाबत अपीलार्थीनी का न्यायालय हाजा में वाद विचाराधीन है एवं उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में सरपंच व तहसीलदार को पक्षकार बनाया है, फिर भी बदनियतिपूर्वक न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बावजुद भी उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो काबिले निरस्त है।
3. यह है कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हल्का कोलिया न तो स्वयं मौके पर गये एवं जांच कर्ता आर.आई. भी मौके पर नहीं गये व सिर्फ बैचाण के आधार पर बिना जांच किये ही उक्त नामान्तरकरण पर अपनी रिपोर्ट की है जो कि तहसीलदार डीडवाना के माहातेत मुलजिमान ही है। जबकि अपीलार्थीनी ने तहसीलदार डीडवाना को वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। इन्हे नोटिस भी अदालत द्वारा जारी हुआ है, वह प्राप्त हुआ है। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।
4. यह है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 06.09.2010 को उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भू.अ. कार्यालय डीडवाना से प्राप्त की है जो अपील अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलार्थीनी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1537 दिनांक 20.08.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2010/08
दायर दिनांक 20.09.2010, निर्णय दिनांक 04.12.2019
श्रीमती सज्जन कंवर बनाम मोहनीदेवी वगैराह

कोलिया द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थीनी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की तरफ से वकील श्री अशोक भाकर ने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की तरफ से वकील श्री हीरसिंह बलारा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की तरफ से जवाब पेश हुआ।

बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 23.07.2010 को न्यायालय हाजा से स्थगन मिला किन्तु उसके बावजुद भी दिनांक 20.08.2010 को रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण खुलवा लिया। पटवारी ने मौके पर जाये बिना मौका रिपोर्ट वास्ते नामान्तरकरण भर दिया। साथ ही मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट वकील ने निवेदन किया कि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को चेलेन्ज किया है। घोषणा खातेदारी का दावा कर रखा है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2009 को पंजीकृत किया गया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण भरते हुए पेश कर दिया गया एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बाद जांच नामान्तरकरण खोला गया। अपीलान्ट पक्ष द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को आज दिनांक तक कही भी चेलेन्ज या उज्जर आपत्ति नही उठायी गई है न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी न ही तो संबंधित सरपंच या संबंधित पटवारी या संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई और न ही ऐसी जानकारी आज दिनांक तक है। जिसके सबुत के तौर पर जमाबन्दी की नकल दिनांक 20.09.2018 है जिसमें लगतार इसी वादग्रस्त आराजियात का बेचान एवं नामान्तरकरण खोला जा रहा है। जिन पर अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी है और सभी नामान्तरकरणों पर अपीलान्ट पक्ष ने किसी प्रकार की उज्जर आपत्ति नहीं की है। अपीलान्ट पक्ष एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 की दुर्भी संधि है और माता–बेटे का रिस्ता है और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को जानबुझकर परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट वकील ने निवेदन किया कि म्यूटेशन नियमानुसार भरा गया है जो कि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। विपक्षी पक्ष ने 10 वर्षो तक रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु कोई दावा किसी भी सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया है। विपक्षी केवल परेशान करने हेतु उक्त अपील लेकर आये है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 1537 दिनांक 20.08.2010 जो भरा गया है वह पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2010/08
दायर दिनांक 20.09.2010, निर्णय दिनांक 04.12.2019
श्रीमती सज्जन कंवर बनाम मोहनीदेवी वगैराह

भरा गया है। जो कि नियमानुसार सही प्रतीत होता है। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद पेश नहीं किया है। पंजीकृत दस्तावेज एक वैद्य दस्तावेज है। जिसको निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी अपीलार्थी द्वारा न ही तो संबंधित सरपंच या संबंधित पटवारी या संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई और न ही ऐसी जानकारी आज दिनांक तक दी है तथा पत्रावली में भी ऐसा कोई सबुत उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

–:: **आदेश** ::–

अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **04.12.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:21:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: